न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 5/19 GCMS NO 2019/00002

ओम प्रकाश पुत्र गोपीलाल जाति महावर निवासी मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मोहन सिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत
2. महेश कुमार पुत्र शिवकुमार जाति ब्राहम्ण
3. नरेन्द्र सिह पुत्र दुर्गा सिह जाति राजपूत
4. विरेन्द्र सिह पुत्र दुर्गा सिह जाति राजपूत
5. धर्मेन्द सिह पुत्र दुर्गा सिह जाति राजपूत
6. तारा कंवर पत्नि दुर्गा सिह जाति राजपूत समस्त निवासीयान ग्राम मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
7. प्रभू पुत्र रामपाल
8. कन्हैया पुत्र रामपाल
9. रामलाल पुत्र रामपाल समस्त जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
10. आनन्दीलाल पुत्र मूलचंद जाति माली निवासी मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
11. प्रबंधक बैक आफ बडौदा शाखा मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 1035/18 नि... दिनांक 21.12.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम बैष्णव

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्री रमेश चंद गोयल,श्री सुरेन्द्र सिह जौदान, श्री भगवानदास माली

दिनांक 18.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 21.12.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 द्वारा अस्थाई निषधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम मित्रपुरा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खसरा न0 1145,1146,1149,1206,1207,1208 कुल किता 6 कुल रकबा 3.6200 है0 भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी मे दर्ज है तथा खसरा न0 758,759,1143,1144,1148,1209,12.. 1212 कुल किता 8 कुल रकबा 1.5900 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी मे दर्ज है ... एवं अप्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा न0 382 की भूमि है। ग्राम मि... है जिसमे कई खातेदार है। तथा कई टुकडे मौके प... अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी की भूमि खसरा न0 1145,1146,1149,1206,1207,1208 ... भूमि साथ साथ खसरा ... 1144

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.31 , 1143 रकबा 0.27, 1211 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6600 है0 भूमि पर भी हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण का हमारे खेता के मध्य कोई कब्जा नही है। हमारे खेतो के पीछे की तरफ लम्बी पटटी के रूप मे अप्रार्थीगण संख्या [illegible]ता 3 का कब्जा एवं अधिकार है । उक्त भूमि के खसरा न0 382 की ही भूमि है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 की कब्जाशुदा भूमि को गहरी लाल लाईन से दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि को नीली लाईन से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे मे मार्क क भूमि जो मूल खसरा न0 1144 रकबा 0.31 है0, 1143 रकबा 0.27 है0, 1211 रकबा 0.08 है0 कुल किता की 0.66 है0 भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 के अधिकार क्षेत्र मे है तथा नजरी नक्शा मे दिखाया गया भाग मार्क ख हम प्रार्थीगण के अधिकार क्षेत्र मे नही है। इस प्रकार उपरोक्त हिस्सा अदल बदल हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने इस हिस्से को आपसी सहमति से बिना कब्जे के विभाजन रिकार्ड पर कर लिया है। मौके पर विभाजन नही है जबकि मौके पर हम काबिज काश्त करते चले आ रहे है। बिना कब्जे की ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 मे खसरा न0 1144,1143,1211 व अन्य सहित भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 10.9.18 को बेचान कर दिया है। जिसका कोई विधिक आधार नही है जो अप्रार्थी संख्या 7 को किया गया है। जिसक[illegible] [illegible]ोई कानूनी अधिकार पैदा नही होता है। प्रार्थीगण को तथाकथित बेचान दिनांक 10.9.18 की जानकारी होने पर अप्रार्थीगण 1 ता 3 व 7 से सम्पर्क किया कि आपने बिना कब्जे एवं अधिकार के किसी प्रकार विभाजन करवा कर बेचान कर दिया है जिसके कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी । इसलिए अप्रार्थीगण 1 ता 3 व 5 तथा 7 को ताफैसला वाद इस अमर से पाबंद किया जावे कि ग्राम मित्रपुरा के ख0न0 1134 रकबा 0.31 है0, 1143 रकबा 0.27 है0, 1211 रकबा 0.08 है0 भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे तथा किसी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश नही करे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि [illegible] सुस्थापित सिद्वान्तो के एवं तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला स्वयं की मर्जी से एवं [illegible] [illegible]सी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे साबित मानकर अहम कानूनी भूल की [illegible] [illegible] निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 ने अपने [illegible] प्रथम दृष्टया मामला किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पो0 1 ता 6 के द्वारा केवल स्वयं के द्वारा हाथ से बनाये गये कच्चा नजरी नक्शा जो किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नही है केवल कच्चे नजरी नक्शा जो रेस्पो0 1 ता 6 द्वारा हाथ से बनाया गया है के आधार पर स्वयं की मर्जी से प्रथम दृष्टंया मामला रेस्पो0 1 ता 6 के पक्ष मे साबित मानकर अहम कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 7 ता 10 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 10.9.18 , जमाबंदी सम्वत 2075–78 खाता संख्या नया 87 ग्राम मित्रपुरा ,नक्शा ट्रेस, नामा0 संख्या 367,368,369 दिनांक 22.11.18 का वर्णन जानबूझकर आदेश मे नही किया है। उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलांट ओमप्रकाश खातेदार काश्तकार व काबिज है। तथा उपरोक्त दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट ओमप्रकाश के पक्ष मे बखूबी साबित है। अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा उसने अनुसूचित जाति के व्यक्तियो से ही उपरोक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से प्रतिफल देकर खरीद किया है तथा कब्जा प्राप्त किया है। उपरोक्त आराजीयात का नामा0 संख्या 367,368,369 दिनांक 22.11.18 से खातेदारी अपीलांट ओमप्रकाश के नाम दर्ज हो चुकी है। जिसका अमल जमाबंदी सम्वत 2075–78 खाता संख्या नया 78 ग्राम मित्रपुरा मे हो चुका है। अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 सामान्य वर्ग के व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कानूनी आधार के व माननीय राजस्व मंडल अजमेर व उच्च न्यायालय के विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के विपरीत जाकर प्रार्थी अपीलांट को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन पर जाने के लिए विधि के विपरीत जाकर पाबंद करने मे अहम भूल की है। जबकि कानूनन खातेदार काश्तकार को उसकी स्वयं की खातेदारी की जमीन के उपयोग उपभोग करने से पाबंद नही किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 ने दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या नया 5 खाता संख्या पुराना 5 ग्राम मित्रपुरा पेश की है जिसमे खसरा न0 1145,1146,1149,1206,1207,1208 कुल किता 6 कुल रकबा 3.62 है0 के रेस्पो0 संख्या 10 आन्नदी लाल पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/2, तथा रेस्पो0 मोहन सिह हिस्सा 1/6 , महेश कुमार 1/5, नरेन्द्र सिह , विरेन्द्र सिह, धर्मेन्द्र सिह पिसरान दुर्गा सिह , तारा कंवर बेवा दुर्गा सिह का हिस्सा 1/6 दर्ज है। उपरोक्त सभी व्यक्ति सामान्य वर्ग के व्यक्ति है जिनकी उपरोक्त आराजीयात शामलाती खातेदारी दर्ज है इसी तरह से जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या नया 124 खाता संख्या पुराना 121 ग्राम मित्रपुरा पेश की है जिसमे खसरा न0 1142,1147 कुल रकबा 1.71 है0 रेस्पो0 मोहन सिह पुत्र रामसिह हिस्सा 1/3, नरेन्द्र सिह, विरेन्द्र सिह,धर्मेन्द्र सिह पुत्र दुर्गा सिह , तारा कंवर बेवा दुर्गा सिह हिस्सा 1/3 तथा महेश कुमार पुत्र शिवकुमार का 1/3 हिस्सा दर्ज शामलाती दर्ज है। उपरोक्त सभी व्यक्ति सामान्य वर्ग के है। जिनका अपीलांट की आराजीयात से कोई लेना देना नही है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 सामान्य वर्ग के व्यक्ति है जिनकी आराजीयात व कब्जे [illegible] खातेदारी के खाता संख्या व खसरा अलग है। अपीलांट अनुसूचित [illegible] जमीन के खाता संख्या व खसरा अलग है । रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत [illegible] नक्शा ट्रेस से प्रथम दृष्टया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मामला उनके पक्ष मे साबित नही होता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 1035/18 निर्णय दिनांक 21.12.18 उनवान मोहन सिह वगै0 बनाम प्रभू वगै0 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा न0 382 की भूमि है। ग्राम मित्रपुरा मे खसरा न0 382 बहुत बडा रकबा है जिसमे कई खातेदार है। तथा कई टुकडे मौके पर हो रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 आन्नदी लाल की खातेदारी की भूमि खसरा न0 1145,1146,1149,1206,1207,1208 की भूमि साथ साथ खसरा न0 1144 रकबा 0.31 , 1143 रकबा 0.27, 1211 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6600 है0 भूमि पर भी हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण का हमारे खेतो के मध्य कोई कब्जा नही है। हमारे खेतो के पीछे की तरफ लम्बी पटटी के रूप मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ला 3 का कब्जा एवं अधिकार है । उक्त भूमि के खसरा न0 382 की ही भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे मे मार्क क भूमि जो मूल खसरा न0 1144 रकबा 0.31 है0, 1143 रकबा 0.27 है0, 1211 रकबा 0.08 है0 कुल किता की 0.66 है0 भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 के अधिकार क्षैत्र मे है तथा नजरी नक्शा मे दिखाया गया भाग मार्क ख हम प्रार्थीगण के अधिकार क्षैत्र मे नही है। इस प्रकार उपरोक्त हिस्सा अदल बदल हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने इस हिस्से को आपसी सहमति से बिना कब्जे के विभाजन रिकार्ड पर कर लिया है। मौके पर विभाजन नही है जबकि मौके पर हम काबिज काश्त करते चले आ रहे है। बिना कब्जे की ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 मे खसरा न0 1144,1143,1211 व अन्य सहित भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 10.9.18 को बेचान कर दिया है। जिसका कोई विधिक आधार नही है जो अपीलांट को किया गया है। जिसका कोई कानूनी अधिकार पैदा नही होता है। उक्त तथाकथित बेचान की आड मे अपीलांट रेस्पो0 को उनके कब्जे शुदा भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित माना गया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र खारिज हो सके। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा न0 382 का ही भाग है। जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी/[illegible] का कथन रहा कि भूमि खसरा न0 1134,1143,1211 पर प्रार्थी/रेस्पो0 [illegible] का ही कब्जा काश्त है। जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा बिना किसी [illegible] विभाजन कराया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 7 को बेचान किया गया है। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। जबकि अपीलांट के अधिवक्ता का कथन रहा कि उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की अयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिन्होने विधिवत रूपये से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 10.9.18 को प्रतिफल प्राप्त किया जाकर अपीलांट को बेचान किया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की विवादित भूमि प्रभू,कन्हैया पिसरान रामपाल हिस्सा 2/3 बिला रहन रामलाल पिसरान रामलाल हिस्सा 1/3 जाति बैरवा सा.देह हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। जिसको खातेदारो द्वारा भूमि का विकय अपीलाट ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल महावर के नाम जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र हस्तान्तरण किया गया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध छाया प्रति विक्रय पत्र से होती है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 1 ता 6 का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का कभी कब्जा काश्त नही रहा है शुरू से ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 का रहा है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि किसी रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात पर कब्जा होने से कब्जेधारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है बल्कि वह अतिचारी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट द्वारा क्रय की गई भूमि जरिये नामा0 अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 से ह होती है। इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है। विवादित आरजीयात पूर्व मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज रही है वह भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे एवं वर्तमान खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज है वह भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। जबकि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 सामान्य वर्ग के व्यक्ति है। कानूनन अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के व्यक्तियो की भूमियो पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियो को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजी अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड है। किसी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 1035/18 मे पारित निर्णय दिनांक 21.12.18 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:07 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner